न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –85/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
लाखाराम पुत्र मन्दरूपराम जाट (खोखर), निवासी गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।		तहसीलदार मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से भंवरलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 16-12-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2017 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.11.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज़ मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व उसको सूचित किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। पटवारी हल्का जब मौके पर आया तथा उसने अपीलांट को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, तब अपीलांट माननीय अधिनस्थ न्यायालय में गया तथा नकले प्राप्त कर उक्त अपील पेश की जो जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद पेश है। जिसे अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाने का आदेश प्रदान कराने का कथन करते हुए मयाद की अवधि में छूट प्रदान करते हुए उक्त अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि खेत खसरा नम्बर 305 रकबा 1.82 हैक्टेयर मौजा गोटन अपीलांट व उसके पिता मन्दरूपराम के कब्जे काश्त व खातेदारी का था। उक्त खेत के पूर्व में खसरा नम्बर 303 गैर मुमकीन मंगरा की भूमि है। अपीलांट के उपरोक्त खेत का करीब 2 बीघा रकबा बंदोबस्त अधिकारीयों ने अपीलांट की खातेदारी में से कम करके खसरा नम्बर 303 गैर मुमकीन मंगरा में दर्शा दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट व उसके पिता को नहीं थी क्योंकि, मौके पर उक्त खेत खसरा नम्बर 305 के चारों तरफ कदीम से सीवें कायम है तथा रेस्पोडेंट की तरफ से भी अपीलांट को कभी कोई अतिक्रमी बताते हुये नोटिस नहीं दिया गया। अपीलांट के उपरोक्त कथन की पुष्टि खेत खसरा नम्बर 303 गैर मुमकीन मंगरा के गत खसरा नम्बर 1081 मिन की खसरा परिवर्तनशील से होती है

कलक्टर, नागौर

खसरा परिवर्तनशील व गिरदावरी में अपीलांट व उसके पिता का करीब 2 बीघा रकबे पर समय–समय पर काश्त करने व कब्जा होना दर्ज होता रहा है। उक्त खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां इस अपील के साथ पेश की गई है। इसके अलावा उक्त रकबे पर अपीलांट की पुरानी रहवासीय ढाणी बनी हुई हैं जिससे उसका उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने की पुष्टि होती है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों पर विचार किये बिना ही एकतरफा आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस की विधिनुसार अपीलांट पर कोई तामील नहीं करवाई। दिनांक 15.03.2019 की आदेशिका के अनुसार अपीलांट को प्रकरण की कार्यवाही की इतला देने के लिये पुनः कोई नोटिस जारी करने का उल्लेख हुआ है मगर दिनांक 15.03.2019 के पश्चात् सुनवाई के लिये रखी गई तारीख 22.03.2019 का कोई नोटिस माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने न तो जारी किया और न ही ऐसा कोई नोटिस उक्त दिनांक 22.03.2019 को माननीय अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने का अपीलान्ट पर तामिल हुआ। इस प्रकार माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना दिये ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करता तो वह विवादग्रस्त खसरा नम्बर 303 गैर मुमकिन मंगरा पर अपने पुराने कब्जे के संबंध में दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पेश करता और राज्य सरकार के नियमन के संबंध में जारी सर्कुलर के अनुसार व जमीन की किस्म को देखते हुए वादग्रस्त रकबा 2 बीघा को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानकर नियमन करने की कार्यवाही करने के लिये निवेदन करता मगर अधिनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट को सूचना दी न ही स्वंय के स्तर पर अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में कोई जांच की, इस वजह से निर्णय जैर अपील अवैध होने से अपास्त होने योग्य है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये और न ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में उल्लेखित आरोपो को पटवारी हल्का साबित कर पाया, इसके बावजूद अपीलांट को सुनवाई का विधिनुसार अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है, का कथन करते हुए न्यायालय तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2017 अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2019 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

राजपैराकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गैर मुमकिन की भूमि पर पक्की दीवार, जीरा पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर कब्जा कर अतिकमण करना साबित होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 303 की गैर मुमकिन मगरा की 0.3472 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट लखाराम द्वारा पक्की दीवारे, जीरा, पत्थर की कच्ची दीवारे बनाकर नाजायज कब्जा की पटवारी गोटन एवं भू अभिलेख निरीक्षक गोटन की रिपोर्ट दिनांक 19.01.2018 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट लखाराम को नोटिस जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी तारीख पेशी 15.03.19 का नोटिस अपीलान्ट के छोटे भाई की पत्नी से तामील होकर अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट तारीख पेशी 15.03.2019 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2019 को उक्त तामील शुदा नोटिस प्राप्त नहीं होने पर पुनः नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाकर तारीख पेशी 22.03.2019 को नियत की गई। दिनांक 22.03.2019 को उक्त तारीख पेशी 15.03.2019 का तामील सुदा नोटिस प्राप्त होने पर पत्रावली निर्णय हेतु

कलक्टर, नागौर

25.03.2019 को नियत की गई। तारीख पेशी दिनांक 25.03.3019 को अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट द्वारा मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 303 रकबा 0.3472 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मगरा की जमीन पर पक्की दीवार, जीरा, पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर कब्जा करने के संबंध में अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल करने का दिनांक 25.03.2019 को निर्णय पारित कर दिया।

पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की उपरोक्तानुसार रिपोर्ट दिनांक 19.01.2018 में मौजा गोटन के खसरा नम्बर 303 की भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा बताया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2019 में मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 303 पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण करने का उल्लेख किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दूषित है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण ने उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 305 में से 2 बीघा रकबा बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा कम करके खसरा नम्बर 303 गैर मुमकिन मंगरा में दर्शा दिया जाना व खसरा परिवर्तनशील व गिरदावरी में अपीलान्ट व उसके पिता का करीब 2 बीघा रकबे पर काश्त करना व कब्जा होना अवगत कराया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को भी युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना हीं निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 25.03.2019 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को प्रतिप्रेषित कर उपर्युक्त विवेचन में दिये गये तथ्यों के संबंध में पुनः विधिवत सुनवाई कर निये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:13:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: